FORM NO. III

## फर्द अहकाम

## (नियम 26)

**अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प पिचियाक**

| **वादी** | **बनाम** | **प्रतिवादी** |
|---|---|---|
| श्रीमती भुण्डी देवी | | राजस्थान सरकार |

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–139/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 10.11.2021 | प्रार्थी श्रीमती भुण्डी देवी पुत्री बस्तीराम जाति खारोल निवासी पिचियाक तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प पिचियाक में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बंध जसवंतसागर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 509 रकबा 1.0517 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 637/14 रकबा 1.2620 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 637/3 रकबा 0.9708 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 637/9 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, कुल खसरा 4 कुल रकबा 3.4059 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता बस्तीराम पुत्र शैतानराम की थी। बस्तीराम का देहान्त हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 1384 स्वीकृत किया गया उसमें प्रार्थी का नाम भुण्डी देवी के बजाय झूण्डी देवी लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम भुण्डी देवी है तथा सरकारी दस्तावेज भी भुण्डी देवी के नाम से ज[illegible] किया कि संयुक्त खातेदारी भूमि में झूण्डी देवी प[illegible]म के स्थान पर भुण्डी देवी पुत्री बस्तीराम [illegible] घोषित की जावे।<br>वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी भुण्डी देवी ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज कर[illegible]। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी भुण्डी देवी के आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र, भामाशाहकार्ड आदि पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:00:50 IST
Reason: SelfAttested

| | | |
|---|---|---|
| | साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत पिचियाक द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया है। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में झूण्डी देवी लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है।<br>पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम भुण्डी देवी के बजाय झूण्डी देवी दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य ह अतः ग्राम बंध जसवंत सागर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 509 रकबा 1.0517 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 637/14 रकबा 1.2620 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 637/3 रकबा 0.9708 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 637/9 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, कुल खसरा 4 कुल रकबा 3.4059 हैक्टेयर की संयुक्त खातदारी भूमि में झूण्डी देवी पुत्री बस्तीराम के स्थान पर **भुण्डी देवी पुत्री बस्तीराम** जाति खारोल निवासी पिचियाक तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारो हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम पिचियाक में खुले में सुनाया गया।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>बिलाड़ा | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:00:50 IST
Reason: SelfAttested

**अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई**
**(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)**

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प पिचियाक

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

| **वादी** | **बनाम** | **प्रतिवादी** |
|---|---|---|
| भुण्डी देवी पुत्री बस्तीराम<br>जाति खारोल निवासी पिचियाक<br>तहसील बिलाड़ा | | राजस्थान सरकार<br>तहसीलदार बिलाड़ा |

**दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट**

राजस्व वाद संख्या :— 139/2021

**निर्णय** **दिनांक** :— 10.11.. 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या—1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम बध जसवंत सागर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 509 रकबा 1.0517 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 637/14 रकबा 1.2620 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 637/3 रकबा 0.9708 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 637/9 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, कुल खसरा 4 कुल रकबा 3.4059 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में झूण्डी देवी पुत्री बस्तीराम के स्थान पर **भुण्डी देवी पुत्री बस्तीराम** जाति खारोल निवासी पिचियाक तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:00:50 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

**तीज — मुबलिग — बाबत् —**

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह –  सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –   की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.11.2021 को जारी की गई।

| मुदायराह | रूपया | पैसे | मुदायराह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | वजह सबूत महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमि”नर | | | फीस कमि”नर | | |
| बाबत् इजराज हुक्मनामा | | | बाबत् हुराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| | | | दर0 तलबाना | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:00:50 IST
Reason: SelfAttested